राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2316/2025

विजय कृष्ण वैष्णव —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर मंडल, उदयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.03.2025
आदेश की दिनांक : 27.03.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुनील कुमार सिंगोदिया, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कूपाड़ा, ब्लॉक तलवाड़ा जिला बांसवाड़ा में कार्यरत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता कथन है कि अपीलार्थी ने दिनांक 12.07.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि अपीलार्थी की नियुक्ति अध्यापक ग्रेड–II के पद पर दिनांक 20.08.1994 को न्यूनतम वेतन श्रृंखला रूपये 1400–2600 पर नियुक्त किया गया। वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.08.1998 के द्वारा अपीलार्थी का वेतनमान रूपये 5500–9000 निर्धारित किया गया तथा अपीलार्थी को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वरिष्ठ वेतनमान रूपये 6500–10500 का लाभ दिया गया। अपीलार्थी द्वारा 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 28.08.2012 से वरिष्ठ वेतनमान रूपये 7500–12000 का लाभ दिया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 04.06.2013 द्वारा वर्ष 2008–09 की रिक्ति के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति दी गई। जहां पर अपीलार्थी ने

व्याख्याता के पद पर उपस्थिति प्रस्तुत की। अपीलार्थी द्वारा आगामी एसीपी/एमएसीपी स्वीकृत हेतु प्रकरण निदेशालय भेजा गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.06.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा आक्षेप किया गया कि आप द्वारा दिनांक 31.03.2009 को पदोन्नति व्याख्याता के पद पर हो जाने से दिनांक 20.08.2012 को स्वीकृत किया गया चयनित वेतनमान व्याख्याता में 10 वर्ष पूर्ण करने पर दिनांक 20.08.2014 को देय होगा तथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली के निर्देश दिये गये। इस संबंध में अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड–II के पद पर नियुक्त होकर दिनांक 01.07.1998 को प्रवेश वेतनमान रूपये 5500–9000 एवं 10 वर्ष पूर्ण होने करने पर वेतनमान रूपये 6500–10500 तथा 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 20.08.2012 को चयनित वेतनमान रूपये 7500–12000 प्राप्त किया है। अपीलार्थी की नियुक्ति व्याख्याता के पद पर नहीं हुई तथा अपीलार्थी की पदोन्नति व्याख्याता के पद पर हुई है। उनका कथन है कि व्याख्याता पद पर नियुक्ति के 10 वर्ष पूर्ण होने पर वरिष्ठ वेतनमान रूपये 7500–12000 लागू न होकर शिक्षकों को दिनांक 01.07.1998 को देय वेतनमान में अध्यापक ग्रेड–II के वरिष्ठ वेतनमान 6500–10500 में 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अपीलार्थी को दिनांक 20.08.2012 को चयनित वेतनमान रूपये 7500–12000 देय है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आक्षेप में व्याख्याता के पद पर नियुक्त वेतनमान रूपये 6500–10500 से 10 वर्ष पश्चात् 20.08.2014 को देय है। अपीलार्थी द्वारा अध्यापक ग्रेड–II के पद पर चयनित वेतनमान जो 20.08.2004 से 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 20.08.2012 को चयनित वेतनमान रूपये 7500–12000 प्राप्त किया है, जो सही है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.06.2024 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि दिनांक 20.08.2012 से चयनित वेतनमान श्रृंखला 7500–12000 का लाभ देने के लिए अपीलार्थी के अभ्यावेदन दिनांक 12.07.2024 पर निर्णय लेवे एवं तदनुसार प्रत्यर्थी विभाग को एसीपी/एमएससीपी का लाभ देने के निर्देश दिये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश

प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)